

सं०सं० 3/क्यू०-०६/2024

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा,
पटना ।

पटना, दिनांक

विषय : श्री अशोक कुमार चौधरी, माननीय स०वि०स० का तारांकित प्रश्न सं० 575(द-79) दिनांक 26.07.2024 से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं० 1224/2024 को विलोपित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चिकित्सकों के द्वारा सेवा सम्पुष्टि हेतु आवश्यक कागजात संलग्न कर नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन उपलब्ध कराया जाता है उस पर विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त अहर्ता पूरी करनेवाले चिकित्सको की सेवा सम्पुष्टि की जाती है।

02 उल्लेखनीय है कि प्राप्त आवेदनों का समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना स० 709(3) दिनांक 13.12.2024 एवं 329(3) दिनांक 04.06.2025 द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के कुल-483 चिकित्सको तथा विभागीय अधिसूचना स० 455(3) दिनांक 22.08.2024 एवं 408(3) दिनांक 18.07.2025 द्वारा कुल-255 दत्त चिकित्सको का सेवा सम्पुष्टि किया गया है।

03 अतः अनुरोध है कि आश्वासन सं० 1224/2024 को आश्वासन की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/—

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापांक -3/क्यू०-०६/2024

569(3)

पटना, दिनांक 22/9/2025

प्रतिलिपि, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-13 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विधान परिषद को ऑनलाईन भेजने हेतु प्रेषित।

W. M. K. 22/9/25
सरकार के अवर सचिव